नकल सं० 567 स्टाम्प शु० 7=00

न्यायालय उपजिलाधिकारी, इगलास(अलीगढ)।

अन्तर्गत धारा 80(1) उ0प्र0रा0सं0 2006

वाद संख्या T-201818020300982 मौजा– अमरपुर दहाना

परगना– गोरई

तहसील–इगलास, जिला–अलीगढ।

देव शिक्षा समिति ग्राम अमरपुर दहाना द्वारा प्रबंधक कु0 मीनू पुत्री देवस्वरूप निवासी 252/53 प्रगति नगर बी0एस0ए0 कालेज रोड जिला मथुरा।

बनाम

उ0प्र0 सरकार

नकल आदेश दिनांक 15/05/2018

प्रस्तुत वाद देव शिक्षा समिति ग्राम अमरपुर दहाना द्वारा कु0 मीनू पुत्री देवस्वरूप निवासी 252/53 प्रगति नगर बी0एस0ए0 कालेज रोड जिला मथुरा की भूमि मौजा अमरपुर दहाना के खाता संख्या 344 के गाटा संख्या 139/2.543है0 लगानी 92.19 पैसा में से रकबा 0.500है0 लगानी 18.13 पैसा को धारा 80(1)उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित कराने हेतु नायब तहसीलदार इगलास द्वारा प्रस्तुत की गयी जांच आख्या दिनांक 21.09.2017 में इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि देव शिक्षा समिति ग्राम अमरपुर दहाना द्वारा प्रबंधक कु0 मीनू पुत्री देवस्वरूप निवासी 252/53 प्रगति नगर बी0एस0ए0 कालेज रोड जिला मथुरा की भूमि मौजा अमरपुर दहाना के खाता संख्या 344 के गाटा संख्या 139/2.543है0 लगानी 92.19 पैसा में से रकबा 0.500है0 लगानी 18.13 पैसा उक्त भूमि पर संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में दर्ज सहखातेदार कागजात हैं तथा काबिज व दखील हैं। उक्त भूमि कृषि कार्य अथवा कृषि कार्य से सम्बद्ध प्रयोग में नहीं आ रही है उपरोक्त खाता संख्या 344 के गाटा संख्या 139/2.543है0 लगानी 92.19 पैसा में से रकबा 0.500है0 लगानी 18.13 पैसा को अकृषिक भूमि के रूप में घोषित कर दिया जाये। नायब तहसीलदार इगलास द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण में नायब तहसीलदार इगलास ने अपनी जांच आख्या दिनांक 21.09.2017 में उल्लेख किया है देव शिक्षा समिति ग्राम अमरपुर दहाना द्वारा कु0 मीनू पुत्री देवस्वरूप निवासी 252/53 प्रगति नगर बी0एस0ए0 कालेज रोड जिला मथुरा की भूमि मौजा अमरपुर दहाना के खाता संख्या 344 के गाटा संख्या 139/2.543है0 लगानी 92.19 पैसा में से रकबा 0.500है0 लगानी 18.13 पैसा पर दर्ज कागजात है। उपरोक्त भूमि को उ0प्र0रा0सं0 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत घोषित किये जाने हेतु जांच आख्या प्रेषित की गयी है। उपरोक्त आख्या के आधार पर आवेदक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में चालान संख्या आई–132544 दिनांक 19.09.2017 को 14,000/–रु0 अकृषिक भूमि घोषित कराने हेतु शुल्क जमा किया गया है।

अतः नायब तहसीलदार इगलास की जांच आख्या दिनांक 21.09.2017 से सहमत होते हुये उक्त देव शिक्षा समिति ग्राम अमरपुर दहाना द्वारा कु0 मीनू पुत्री देवस्वरूप निवासी 252/53 प्रगति नगर बी0एस0ए0 कालेज रोड जिला मथुरा की भूमि मौजा अमरपुर दहाना के खाता संख्या 344 के गाटा संख्या 139/2.543है0 लगानी 92.19 पैसा में से रकबा 0.500है0 लगानी 18.13 पैसा भूमि को लगान मुक्त करते हुए अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। नायब तहसीलदार इगलास की जांच आख्या दिनांक 21.09.2017 अकृषिक घोषित किये जाने हेतु है। इसका प्रयोग इस आदेश का अंग रहेगी। यह उदघोषणा मात्र भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु है। किसी वाद में कानूनी साक्ष्य इत्यादि के लिए अनुमन्य नहीं होगा। यदि उपरोक्त भूमि पर कृषि आदि कार्य होना पाया जाता है तो यह उदघोषणा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार इगलास/उप निबन्धक इगलास को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :–15 मई, 2018

(आर0एस0 पाण्डेय)
उपजिलाधिकारी,
इगलास।

उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट इगलास

... दि० 18/05/18
नकल तैयार करने की तिथि 18/05/18
नकल जारी करने की ति० 19/05/18

सत्य प्रतिलिपि

प्रतिलिपिकार